

# झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सीएमपी संख्या 387/2019

बालकिशोर सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, धनबाद।
3. अपर समाहर्ता, धनबाद।4. अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद।
5. भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद।6. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, धनबाद।
7. अंचल अधिकारी, गोविंदपुर, धनबाद।

... उत्तरदाता

-----

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

-----

याचिकाकर्ता के लिए: श्री बिनोद सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री रूपेश सिंह, अधिवक्ता

-----

08/दिनांक 24 जनवरी, 2020

यह सिविल विविध याचिका, रिट याचिका संख्या 4046/2018 को पुनर्बहाल करने के लिए दायर की गई है, जिसे 03.05.2019 को खारिज कर दिया गया था।

इस तत्काल सिविल विविध याचिका में की गई प्रार्थना पर उत्तरदाताओं के विद्वत अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं की है।

उपर्युक्त निवेदन पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय को यह उचित एवं युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि रिट याचिका संख्या 4046/2018 को मूल फाइल में पुनर्बहाल कर दिया जाए।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस तत्काल सिविल विविध याचिका में की गई प्रार्थना स्वीककार की जाती है और तदनुसार, इसका निपटारा किया जाता है।

परिणामस्वरूप, रिट याचिका संख्या 4046/2018 को इसकी मूल फाइल में बहाल किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)